संख्याः / XVII-2 / 14-29(स0क0) / 2003

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव, / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी, 2014

विषयः-उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारिरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों का चिन्हांकन विषयक शासनादेश संख्या-196 / XVII-2 / 2011-29(स0क0) / 2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 में आंशिक संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा विकलांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण तथा पूर्ण भागिदारी) अधिनियम, 1995 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-32 में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों को एक-एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगें।

(i)- दृष्टिहीनता।
(ii)- श्रवणह्रास।
(iii)- चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्ता या प्रमस्तिष्कीय अंधात।

2. उक्तानुसार उल्लिखित श्रेणियों का अंकन शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2011 के साथ चिन्हांकित पदों की संलग्न सूची में किया गया है तथापि चिन्हांकित पदों की संलग्न सूची में क्रमांक-2 पर अंकित माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही पूर्ण बधिर (Deaf) एवं आंशिक बधिर (पी.डी.) का उल्लेख है, अन्य विभागों में नही।

जबकि उक्त अधिनियम, 1995 की धारा-2(ठ) मे "श्रवण शक्ति का ह्रास" से अभिप्रेत है। "संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण 60 डेसीबेल या अधिक की हानि"

Person with Disabilities Act, 1995 Section 2(l) "hearing impairment" means loss of sixty desibels an institution for the reception, care, protection, education, training, rehabilitation or any other service of persons with disabilities;

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार परिभाषित श्रवणह्रास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–196/XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश के साथ संलग्न सूची मे **'पद के लिए उपयुक्त विकलांगजन की श्रेणियों'** में जहॉ–जहॉ पी.डी. (आंशिक बधिर) का उल्लेख है, वहॉ पर **पी.डी. के साथ डी. (Deaf) "पूर्ण बधिर"** भी पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या–196/XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः–201 /**XVII–2/14–29(2स0क0)/2003** तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एच0सी0 सेमवाल)
अपर सचिव।